रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122021-232129 CG-DL-E-27122021-232129

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 723] No. 723] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 27, 2021/पौष 6, 1943 NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 27, 2021/PAUSA 6, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2021

सं 77/2021-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.िन. 882 (अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतिश्मिन पश्चात जिसे 'विषयगत देश' से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयाितत 'डिकोर पेपर' (एतिश्मिन पश्चात जिसे उक्त 'विषयगत वस्तु' से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतिश्मिन पश्चात जिसे उक्त 'सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम' से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 4805 91 00 या 4802 20 90 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 06/38/2020-डीजीटीआर, दिनांक 28 सितम्बर, 2021, जिसे दिनांक 28 सितम्बर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

- (i) विषयगत देश से विषयगत वस्तु की डंपिंग मार्जिन धनात्मक और अहम है;
- (ii) इससे घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
- (iii) घरेलू उद्योग को हुई यह सारवान क्षति विषयगत देश से हुए इसके फालतू आयात के कारण हुई है,

7569 GI/2021 (1)

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित इस विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अत: अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षिति निर्धारण) नियमावली 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिए गए विवरण वाले विषय वस्तु, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, कॉलम (4) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	विवरण*	मूलत:	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
			उत्पादन का					
			देश					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	4805 91 00,	डिकोर पेपर	चीन जनवादी	चीन जनवादी	र्किंगडेकोर	116	मीट्रिक	अमेरिकी
	4802 20 90		गणराज्य	गणराज्य समेत)झेजियांग (कं,		टन	डॉलर
	1002 20 00			कोई भी देश	लिमिटेड			
2.	4805 91 00,	डिकोर पेपर	चीन जनवादी	चीन जनवादी	शेडोंग	110	मीट्रिक	अमेरिकी
	4802 20 90		गणराज्य	गणराज्य समेत	बॉक्सिंग		टन	डॉलर
	4002 20 30			कोई भी देश	औहुआ स्पेशल			
					पेपर कं,			
					लिमिटेड			
3.	4805 91 00,	डिकोर पेपर	चीन जनवादी	चीन जनवादी	ज़िबो ओयू-	110	मीट्रिक	अमेरिकी
	4802 20 90		गणराज्य	गणराज्य समेत	एमयू स्पेशल		टन	डॉलर
	1002 20 00			कोई भी देश	पेपर कं,			
					लिमिटेड			
4.	4805 91 00,	डिकोर पेपर	चीन जनवादी	चीन जनवादी	क्रम संख्या1 ,	542	मीट्रिक	अमेरिकी
	4802 20 90		गणराज्य	गणराज्य समेत	2और 3 में		टन	डॉलर
	1002 20 00			कोई भी देश	उल्लिखित से			
					भिन्न कोई भी			
5.	4805 91 00,	डिकोर पेपर	चीन जनवादी	चीन जनवादी	कोई भी	542	मीट्रिक	अमेरिकी
	4802 20 90		गणराज्य से	गणराज्य			टन	डॉलर
	1302 20 00		भिन्न कोई					
			भी देश					

*40-130 जीएसएम के रील फार्म के रूप में अनकोटेड पेपर जिनकी क्लेम अवशोषकता कम से कम 12 मिमी प्रति 10 मिनट हो, टेनसाइल स्ट्रेंथ 6-12 एन/15 मिमी हो और गुर्ली पोरोसिटी 10-40 सेकेंड/100 मिलीलीटर, जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड या पिगमेंट्स फिलर के रूप में मौजूद हों। इसमें हाई प्रेशर के बेस पेपर (एचपीएल) या लो-प्रेशर डेकोरेटिव लेमिनेट्स (एलपीएल) आते हैं, जिन्हें डिकोर पेपर, डेकोरेटिव बेस पेपर, हाई-प्रेशर के डेकोरेटिव पेपर या लो-प्रेशर लैमिनेट्स, कोटिंग बेस पेपर और प्रिंट बेस पेपर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसमें रेडी-टू-यूज़ डिकोर पेपर नहीं आते हैं।

प्रश्नगत उत्पाद में विभिन्न प्रकार के डिकोर पेपर जैसे कि सरफेसिंग पेपर (व्हाइट/ऑफ-व्हाइट), लाइनर (व्हाइट/ऑफ-व्हाइट), बैरियर पेपर, शटरिंग बेस, ओवरले पेपर और प्रिंट बेस पेपर (रंगीन/सफेद) आते हैं। इनका वैक्सिंग, कोटिंग और इंप्रेग्नेशन के लिए बेस पेपर के रूप में; प्रिंटिंग के बेस पेपर के रूप में; डेकोरेटिव इंडस्ट्री और बैरियर पेपर में प्रयोग किए जाने के लिए बेस पेपर के रूप में आयात किया जा सकता है, और यह विभिन्न आकार के जैसे कि 95 सेमी, 96 सेमी, 102 सेमी, 123 सेमी, 123.5 सेमी, 124 सेमी, 124.5 सेमी, 125 सेमी, 131 सेमी, 132 सेमी, 183 सेमी, 184 सेमी और 185 सेमी के हो सकता है।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष तक की अविध (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगी और इसका भगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं.-190354/287/2021-टीआरयू] राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2021

No. 77/2021-Customs (ADD)

- **G.S.R.** 882(E).—Whereas in the matter of 'Décor Paper' (hereinafter referred to as the 'subject goods') falling under tariff item 4805 91 00 or 4802 20 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the 'Customs Tariff Act'), originating in, or exported from People's Republic of China (hereinafter referred to as the 'subject country'), and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification number 6/38/2020-DGTR, dated the 28th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 28th September, 2021, has come to the conclusion that the-
 - (i) dumping margin for the subject goods from the subject country is positive and significant;
 - (ii) domestic industry has suffered material injury;
- (iii) material injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject country, and has recommended imposition of an anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an antidumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8), of the said Table, namely:-

TABLE

S No	Tariff Item	Description*	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	4805 91 00, 4802 20 90	Décor Paper	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd.	116	МТ	US Dollar
2.	4805 91 00, 4802 20 90	Décor Paper	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Shandong Boxing Ouhua Special Paper Co., Ltd.	110	MT	US Dollar
3.	4805 91 00, 4802 20 90	Décor Paper	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Zibo OU-MU Special Paper Co., Ltd.	110	MT	US Dollar
4.	4805 91 00, 4802 20 90	Décor Paper	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Any other than S. No. 1,2 and 3.	542	MT	US Dollar
5.	4805 91 00, 4802 20 90	Décor Paper	Any country other than People's Republic of China	People's Republic of China	Any	542	МТ	US Dollar

*uncoated paper in reel form of 40-130 GSM, having klemm absorbency of at least 12 mm per 10 minutes, wet tensile strength of 6-12 N/15 mm, and gurley porosity of 10-40 sec / 100 ml, containing titanium dioxide or pigments as filler. It includes base paper for high pressure (HPL) or low-pressure (LPL) decorative laminates, also known as decor paper, decorative base paper, decorative paper for high-pressure or low-pressure laminates, coating base paper and print base paper, but excluding printed ready-to-use decor paper.

The product under consideration includes various types of decor paper, such as surfacing paper (white/off-white), liner (white / off-white), barrier paper, shuttering base, overlay paper and print base paper (color / white). It may be imported as base paper for waxing, coating and impregnation; base paper for printing; base paper for use in decorative industry and barrier paper, and may come in various sizes as 95 cm, 96 cm, 102 cm, 123 cm, 123.5 cm, 124 cm, 124.5 cm, 125 cm, 131 cm, 132 cm, 183 cm, 184 cm and 185 cm.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and shall be payable in Indian currency.

Explanation. - For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. 190354/287/2021-TRU] RAJEEV RANJAN, Under Secy.